

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14834/2026
CNR: RJHC020909932026 | URN: CRLMB / 27318U / 2026

Pinki @ Jafru S/o Hurmat, Aged About 49 Years, R/o Bhandara,
Police Station Jurhera, District Deeg (Raj.) (At Present Confined
In Sub Jail Deeg).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15522/2026
CNR: RJHC020956512026 | URN: CRLMB / 28656U / 2026

1.

Shokin S/o Isra, Aged About 26
Years, R/o Bhandara, Police
Station Jurhera District Deeg
(At Present Confined In Sub Jail
Deeg).
2.

Yasir S/o Ramjan, Aged About
35 Years, R/o Bhandara, Police
Station Jurhera District Deeg
(At Present Confined In Sub Jail
Deeg).

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Khan
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

05/10/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **पिंकी उर्फ जफरु एवं शौकीन तथा यासिर** की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना, **जुरहरा जिला डीग** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **397/2023** अपराध अन्तर्गत धारा 143, 332, 353, 225, 323, 341, 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु दो अलग-अलग जमानत प्रार्थना-पत्र पेश किए गए हैं।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त **पिंकी** दिनांक 02.09.2026 से एवं **शौकीन तथा यासिर** दिनांक 14.09.2026 से अभिरक्षा में हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आक्षेप लगाया गया है कि उन्होंने अपहरण करके ला रहे अन्य प्रकरण के तीन अभियुक्तगण को गाड़ी से उतारकर उनके साथ मारपीट करने का प्रयास किया था और इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा प्रतिरोध करने पर सरकारी वाहन में तोड़-फोड़ की एवं पुलिस के साथ भी मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 59 लोगों के नाम घटना कारित करने वाले लोगों में अंकित थे, साथ ही गांव के अन्य 150 लोगों के नाम भी होना अंकित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व का एक-एक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। प्रकरण के अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण के 16 अन्य अभियुक्तगण को विचारण न्यायालय एवं इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण को भी जमानत पर मुक्त किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण ने पुलिस की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई है और स्वयं अन्य मामले के तथाकथित अभियुक्तगण के साथ मारपीट करने का प्रयास किया है, रोकने पर पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करने एवं पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का धारा 143, 332, 353, 225, 323, 341, 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 का आक्षेप है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त नहीं किया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 59 लोगों के नाम हैं तथा इनके अलावा गांव के अन्य 200–250 लोगों का घटना में शामिल होना अंकित किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई विशिष्ट कृत्य कारित करने का आक्षेप नहीं लगाया गया है। प्रकरण के कई अभियुक्तगण को नियमित जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। मामला वर्ष 2023 का है। प्रार्थी/अभियुक्त पिकी दिनांक 02.09.2026 से तथा शेष दिनांक 14.09.2026 से अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत **दोनों जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार** किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां** प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J